प्रेस नोट - थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 20.11.2026

थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही- शादी में निकाह पढ़ाने से इनकार करने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार,श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी, वांछित/वारण्टी एवं जिला बदर अपराधियों की तलाश तथा अवैध शराब, शस्त्र, अफीम एवं चरस की बिक्री/निर्माण की रोकथाम, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग तथा गश्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.11.2026 को वादी मुकदमा मोनिश भगत सिंह पुत्र स्व0 दुलारे, नि0 ग्राम बरमौला अर्जुनपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 15.11.2026 को उनकी बहन का विवाह होना था, जिसके लिए मस्जिद बरमौला अर्जुनपुर के इमाम सुरफान रजा कादिरी द्वारा वादी के हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह होने के कारण निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया गया । वादी की तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर मु0अ0सं0 533/2026 धारा 299/302/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित की गई । इसी क्रम में आज दिनांक 20.11.2026 को थाना रोजा पुलिस टीम शांति व्यवस्था ड्यूटी एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान क्षेत्र में भ्रमणशील थी । तभी मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग का वांछित अभियुक्त सुरफान रजा कादिरी गुर्री चौकी के पास टेढ़ी पुलिया से आगे पेट्रोल पंप के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा है । सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उक्त स्थान से अभियुक्त इमाम सुरफान रजा कादिरी पुत्र असलम, नि0 मस्जिद मौलाना, बरमौला अर्जुनपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 20.11.2026 को समय 12:05 बजे धारा 170/126/135 बीएनएस के अंतर्गत गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

इमाम सुरफान रजा कादिरी पुत्र असलम निवासी मौलाना मस्जिद बरमौला अर्जुनपुर थाना रोजा, शाहजहाँपुर उम्र 29 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 533/2026 धारा 299/302/352/351(3) बीएनएस थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:

दिनांक 20.11.2026 को समय 16.05 बजे, गुर्री चौकी के पास टेढी पुलिया से आगे पेट्रोल पम्प के पास से

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष उमेश कुमार मिश्र, थाना रोजा, शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 प्रवीण शुक्ला, थाना रोजा, शाहजहाँपुर
3. हे0का0 अशोक कुमार,थाना रोजा शाहजहाँपुर
4. का0 विकास नागर,थाना रोजा शाहजहाँपुर ।